पार. 1
[8/7/2024]

प्रश्न सं. (क्र. 1741)

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/नवीन मण्डी/23/2/एफ/बहोरीबंद/735 भोपाल, दिनांक 30/11/2015

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति कटनी,
जिला कटनी (म0प्र0)

विषयः— कृषि उपज मंडी समिति कटनी के अन्तर्गत ग्राम बहोरीबन्द में स्वतंत्र मंडी स्थापना हेतु भूमि आवंटन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बावत।

संदर्भ उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर का पत्र कमांक/बोर्ड/निर्माण/बी–7/15–16/3953 दिनांक 29.07.2015 एवं सचिव मंडी समिति कटनी का पत्र कमांक मंडी/निर्माण/ 15–16/1693 दिनांक 15.07.2015 तथा तहसीलदार, तहसील बहोरीबन्द के पत्र कमांक 429/ प्रवा. 2015 दिनांक 14.7.2015

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रो के माध्यम से उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति, कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बहोरीबन्द में स्वतंत्र मंडी स्थापना हेतु शासकीय भूमि के खसरा कमांक 23 एवं 24 में से रकबा 6.000 हेक्टर (15.00 एकड़) के आवंटन की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति कटनी के अन्तर्गत ग्राम बहोरीबन्द में स्वतंत्र मंडी स्थापना हेतु शासकीय भूमि के खसरा कमांक 23 एवं 24 में से कुल रकबा 6.000 हेक्टर (15.00 एकड) के आवंटन की प्रशासकीय स्वीकृति मंडी अधिनियम 1972 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

1 उपरोक्त आवंटित शासकीय भूमि के संबंध में उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, बहोरीबन्द/कटनी से पुष्टि करालें कि प्रश्नाधीन भूमि मंडी की गतिविधियों हेतु आरक्षित है अथवा नहीं ? भूमि निर्माण हेतु संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

2 प्रश्नाधीन भूमि नामान्तरण कृषि उपज मंडी समिति कटनी/बहोरीबन्द के नाम पर दर्ज करवा कर नक्शा खसरा की प्रति प्राप्त कर लें।

3 इस प्रकरण में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने का दायित्व मंडी सचिव का होगा।

O/C

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/नवीन मण्डी/23/2/एफ/बहोरीबन्द/736 भोपाल दिनांक 30-11-2015

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर जिला कटनी (म0प्र0)
2. उप संचालक (ऋण/स्वीकृति) मंडी बोर्ड, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, जबलपुर की ओर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

सुषमा गजभिये
अनुभाग अधिकारी

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कटनी
जिला कटनी (म0प्र0)
ई-मेल – apmckatni@gmail.com
दूरभाष नं0 – 07622240003

क्रमांक / मंडी / निर्माण / 2022–23 / 618 कटनी दिनांक 01/07/22

प्रति

अपर संचालक महो.(प्रांगण / संपदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विषय:– बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा हस्तांतरित भूमि का स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने बावत।

सन्दर्भ – आपका पत्र क्र. / नवीन मंडी / 23 / 2 / एफ / पार्ट–1 / बहोरीबंद / 688–689 दिनांक 16.06.2022।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा हस्तांतरित भूमि का स्थल निरिक्षण किया जाकर हस्तांतरित भूमि की उपयोगिता, औचित्य एवं व्यवहार्यता का प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपसंचालक आंचलिक कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री तकनिकी संभाग मंडी बोर्ड जबलपुर के साथ हस्तांतरित भूमि का दिनांक 25.06.2022 को स्थल निरिक्षण किया गया। संयुक्त निरिक्षण में हस्तांतरित भूमि बहोरीबंद में मंडी की स्थापना हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः वांछित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा हस्तांतरित भूमि का प्रीमियम एवं भू–भाटक मंडी निधि से जमा कराये जाने की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – निरीक्षण प्रतिवेदन।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति कटनी
जिला–कटनी म0प्र0

क्रमांक / मंडी / निर्माण / 2022–23 / 619 कटनी दिनांक 01/07/22

प्रतिलिपि – 1. उपसंचालक महो. म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर।
2. कार्यपालन यंत्री महो. म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड-तकनीकि संभाग जबलपुर।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति कटनी
जिला–कटनी म0प्र0

523

(3)

तहसील बहोरीबंद मे मंडी स्थापना हेतु हस्तांतरित भूमि का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.06.2022

मानसीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क. बी-0334 दिनांक 14.7.2014 अंतर्गत ग्राम बहोरीबंद मे स्वतंत्र मंडी की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्रकरण क/27/अ-19/21-22 दिनांक 14.12.2021 से ग्राम खरगंवा स्थित भूमि खसरा नंबर 158 रकबा 18.13 हेक्टेयर मे से 6.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि का प्रिमियम 338880.00 रूपये एवं 25416.00 रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करते हुये कृषि उपज मंडी समिति कटनी को हस्तांतरित की गयी है। जिसके उपरान्त मंडी समिति कटनी द्वारा कार्यालयीन पत्र क 5021 दिनांक 04.02.2022 से उक्त आवंटित भूमि का निर्धारित प्रिमियम एवं भूभाटक जमा किये जाने हेतु शासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपसंचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर के माध्यम से प्रकरण सह अन्य आवश्यक जानकारिया संलग्न कर वरिष्ठालय मंडी बोर्ड भोपाल प्रेषित किया गया है।

अपर संचालक महो.(प्रांगण/संपदा) मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र क्र. 688-689 दिनांक 16.06.2022 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा हस्तांतरित भूमि का स्थल निरिक्षण किया जाकर हस्तांतरित भूमि की उपयोगिता, औचित्य एवं व्यवहार्यता का प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्राप्त निर्देशों के परिपालन में चिन्हित भूमि की उपयुक्तता के संबंध मे आज दिनांक 25.06.2022 को उपसंचालक म०प्र०रा०कृ०विपणन आंचलिक कार्यालय जबलपुर, कार्यपालन यंत्री म०प्र०रा०कृ०विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर, मंडी सचिव तथा उपयंत्री के द्वारा हस्तांतरित भूमि का सामूहिक निरीक्षण किया गया। भौतिक निरीक्षण मे कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा हस्तांतरित की गयी भूमि ग्राम खरगवां खसरा नंबर 158 रकबा 18.13 हेक्ट० मे से 6.00 हेक्ट० शासकीय भूमि उपलब्ध एवं रिक्त होना पाया गया है। उक्त भूमि बहोरीबंद बस स्टेन्ड से लगभग 1.5 कि०मी० तथा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बहोरीबंद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग से लगी हुई है। भूमि के निरीक्षण पर भूमि का अधिकांश भाग समतल तथा केवल कुछ स्थानो पर छोटे गढढे इत्यादि होना पाया गया है। उक्त भूमि के निकट कुडन जलाशय स्थित है जिसमे ग्रामीणो द्वारा पानी की उपलब्धता बारहमासी होना बताया गया है। उक्त भूमि बहोरीबंद नगर मे ही उपलब्ध होने से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप बहोरीबंद मे स्वतंत्र मंडी की स्थापना हेतु उपयुक्त है।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी जिला-कटनी	कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर	उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर

सुषमा गजभिये
अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट - (अ) पृष्ठ संख्या 01 से 03 तक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
(शाखा-3), मंत्रालय, भोपाल

सुषमा गजभिये
अनुभाग अधिकारी